न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 143/2020/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 03.03.2020
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बिरधीबाई पुत्री स्व० बिशना, जाति चमार मेघवाल निवासी ग्राम देलाहेडी, तहसील अन्ता, जिला बारां, हाल निवासी वार्ड नं0 69, अन्ता जिला बांरा राज

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कालू पुत्र बिशना जाति चमार मेघवाल, मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. ओम प्रकाश पुत्र कालू
   1/2. जोधराज पुत्र कालू जाति चमार मेघवाल,
   निवासीगण ग्राम देलाहेडी, तहसील अन्ता जिला बांरा राज०
2. राजाराम पुत्र आनन्दीलाल
3. रामेश्वर पुत्र आनन्दीलाल
4. रमेश पुत्र आनन्दीलाल जाति चमार मेघवाल मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   4/1. मोर बाई पत्नि स्व0 रमेश
   4/2. अन्नू पुत्री स्व0 रमेश
   4/3. प्रवीण पुत्र स्व0 रमेश
   4/4. निकिता पुत्री स्व0 रमेश
   4/5. मुसीबत पुत्री स्व0 रमेश
   4/6. निक्कू पुत्र स्व0 रमेश
   जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम देलाहेड़ी, तहसील अंता, जिला बारां
5. बनास बाई पुत्री स्व० आनन्दीलाल पत्नि रामभरोस जाति चमार, निवासी हाल मेघवाल मोहल्ला, वार्ड नं0 2. सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
6. रामविलासी बाई पत्नि स्व० सुरेश जाति चमार मेघवाल, निवासी ग्राम देलाहेडी, तहसील अन्ता जिला बारां राज०
7. पद्मा बाई पुत्री स्व० सुरेश पत्नि श्री जगदीश जाति चमार मेघवाल, निवासी ग्राम देलाहेडी, तहसील अन्ता जिला बारां राज0
8. राजवीर पुत्र स्व० सुरेश
9. सियाबाई पुत्री स्व० सुरेश
10. नव्या पुत्री स्व० सुरेश नाबालिग जर्येवली माता रामविलासी बाई पत्नि स्व० सुरेश जाति चमार मेघवाल, निवासी ग्राम देलाहेडी, तहसील अन्ता जिला बारां राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेन्ट

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

उपस्थित : श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक –अपीलांट
श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक– रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 29.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 21/2016 बउनवान बिरधी बाई बनाम कालू (मृतक) जरिये का0 मु0 ओम प्रकाश वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 वाके ग्राम देलाहेड़ी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की जाकर कथन किया गया कि ग्राम देल्याहेडी तहसील अंता जमाबंदी संख्या 2037 से 2040 अनुसार खाता सं0 5 पुराना 44 में खसरा सं0 26, 27, 39, 46, 212, 213, 214, 215, 221, 222, 225, 5/2, 198/1, 226/1 कुल किता 14 रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा स्थित है, जो खातेदार आनन्दया, कालू पिसरान बिशना कोम चमार सा0 देह राजस्व रिकोर्ड में अंकित थी, जो कि इंतकाल संख्या 107 में दर्ज हुई। लेकिन अपीलांट बिरधी बाई का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि अपीलांट भी मृतक बिशना पुत्र धूल्या की जायज वारिस है। अतः इंतकाल संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 ग्राम देल्याहेडी निरस्त फरमाया जाकर मृतक बिशना के वारिसान आनन्दया, कालू के साथ अपीलांट के नाम अंकित किये जाने हेतु तहसीलदार अंता को आदेश प्रदान किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा न्यायालय तहसीलदार अंता द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्ब के संबंध में धारा–5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत कारण को उचित एवं क्षम्य योग्य नहीं होना मानते हुए तदनुसार अपील मियाद बाहर होने से निर्णय दिनांक 27.01.2020 से खारिज की गई।

29/8/2025
अति. स. आयुक्त
कोटा

3. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.01.2020 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता के इन्तकाल सं० 107, दिनांक 05.10.1977 के विरुद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देल्याहेडी तहसील अन्ता जमाबन्दी सं० 2037 से 2040 अनुसार खाता सं० नया 5 पुराना 44 में खसरा नं0 26, 27, 39, 46, 212, 213, 214, 215, 221, 222, 225, 55/2, 198/1, 226/1 कुल 14 किता की रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित थी, जो खातेदार आनन्दया, कालू, पिसरान बिशना कौम चमार साकिन देह राजस्व रेकार्ड में अंकित थी, जो इन्तकाल सं० 107 में दर्ज हुआ है। लेकिन अपीलान्टा बिरधीबाई का नाम दर्ज नहीं किया है। अपीलान्टा भी मृतक बिशना पुत्र धूल्या की जायज वारिस है। उक्त आराजीयात के पूर्व खातेदार बिशना पुत्र धूल्या थे। आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा वर्तमान में आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल के जीवित वारिस एवं कायम मुकामान रेस्पो० नं0 2 लगायत 10 है। उक्त आराजीयात के बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नं0 297, 298, 314, 315, 322, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 365, 366, 369, 374,375,376/501 कुल 18 किता की रकबा 10.09 है० जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में अंकित है। अपीलान्टा के पिता बिशना पुत्र धूल्या का स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी उनके पुत्रों आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल, कालू के नाम दर्ज कर दी है, जबकि अपीलान्टा बिरधी बाई भी बिशना जी की जायन्दा पुत्री है तथा अपने पिता के जीवनकाल से अपने हिस्से 1/3 आराजी पर काबिज काश्त मौके पर चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल सं० 107 बिना तहकीकात किये खोला गया है। जो अवैधानिक एवं गैरकानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है। इस इन्तकाल सं० 107 दिनांक 05.10.1977 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.06.2016 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड के लिये खाते की नकल लेने हेतु मौखिक निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा नाम अंकित नहीं होना बताये जाने पर अपीलान्ट ने उक्त इन्तकाल की नकल दिनांक 24.06.2016 को प्राप्त करके अपील पेश की गई। इस प्रकार जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां के यहां प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा बाद सुनवाई अपीलान्टा की अपील को खारिज करते हुये निर्णय दिनांक 27.01.2020 को पारित किया है। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार अन्ता जिला बारां द्वारा खोला गया इन्तकाल सं0 107, दिनांक 05.10.1977 एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध, पत्रावली पर आये तथ्यों एवं सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के सवर्था विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिशना की जायन्दा पुत्री माना गया है तथा उक्त आराजी में अपीलान्टा का हक एवं हिस्सा भी माना गया है तथा उक्त इन्तकाल सं० 107 दिनांक 05.10.1977 को गलत तरीके से खोला जाना भी माना गया है, किन्तु इसके बावजूद भी केवल मात्र अपील को मियाद बाहर होना मानकर अपील खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से पेश किये जाने का समुचित कारण बताया गया था कि "दिनांक 19.06.2016 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड के लिये खाते की नकल लेने हेतु निवेदन करने पर पटवारी हल्का नाम अंकित नहीं बताये जाने पर अपीलान्ट ने उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 20.06.2016 को पेश कर नकल इन्तकाल दिनांक 24.06.2016 को प्राप्त करके अपील पेश की"। इस प्रकार जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां के यहां प्रस्तुत की थी। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा देरी का समुचित कारण नहीं मानते हुये अपीलान्टा की अपील खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की अपीलान्टा मालिक स्वामी काबिज है तथा उक्त भूमि अपीलान्टा के पिता स्व० बिशना के हिस्से की है तथा अपीलान्टा अपने पिता के जीवनकाल से ही मालिक काबिज चली आ रही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 लगायत 10 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के कारण रेस्पोडेन्ट आये दिन अपीलान्ट को उसके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक बिशना के वारिसान के साथ अपीलांट का नाम अंकित करने हेतु पुनः इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम देल्याहेडी तहसील अन्ता जमाबन्दी सं० 2037 से 2040 अनुसार कुल 14 किता की रकबा 52 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित थी, जो खातेदार आनन्दया, कालू, पिसरान बिशना कौम चमार साकिन देह राजस्व रेकार्ड में अंकित थी, जो इन्तकाल सं० 107

25/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

में दर्ज हुआ है। लेकिन अपीलान्टा बिरधीबाई का नाम दर्ज नहीं किया है। अपीलान्टा भी मृतक बिशना पुत्र धूल्या की जायज वारिस है। अपीलान्टा के पिता बिशना पुत्र धूल्या का स्वर्गवास होने के बाद उक्त आराजी उनके पुत्रों आनन्दया उर्फ आनन्दीलाल, कालू के नाम दर्ज कर दी है। जबकि अपीलान्टा बिरधी बाई भी बिशना जी की जायन्दा पुत्री होने से अपने हिस्से 1/3 आराजी पर काबिज काश्त मौके पर चली आ रही है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने उक्त इन्तकाल सं० 107 बिना तहकीकात किये खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिशना की जायन्दा पुत्री माना गया है तथा उक्त आराजी में अपीलान्टा का हक एवं हिस्सा भी माना गया है तथा उक्त इन्तकाल सं० 107 दिनांक 05.10.1977 को गलत तरीके से खोला जाना भी माना गया है, किन्तु इसके बावजूद भी केवल मात्र अपील को मियाद बाहर होना मानकर अपील खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से पेश किये जाने का समुचित कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बताया गया था कि "दिनांक 19.06.2016 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड के लिये खाते की नकल लेने हेतु निवेदन करने पर पटवारी हल्का नाम अंकित नहीं बताये जाने पर अपीलान्ट ने उक्त इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 20.06.2016 को पेश कर नकल इन्तकाल दिनांक 24.06.2016 को प्राप्त करके अपील पेश की"। इस प्रकार जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां के यहां प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय के इस विधिक बिन्दु पर गौर नहीं किया कि इन्तकाल त्रुटिपूर्ण खोला गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त इंतकाल के त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलांट को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज नहीं की जाकर गुणावगुण पर विचार किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक बिशना के वारिसान के साथ अपीलांट का नाम अंकित करने हेतु पुनः इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2023(2) Page 1040, RRT 2022(2) Page No. 1137, RRT 2018(1) Page No. 601, RBJ (9) 2002 Page No. 108, RRT 2024 (2) Page No. 1240** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 को खोला गया है। अपीलांट द्वारा उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध 42 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई। ऐसी स्थिति में इतने लम्बे समय तक जानकारी नहीं होने का कथन गलत हैं। प्रश्नगत नामांतरकरण सेटलमेंट से पूर्व

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

का हैं। इसके उपरांत भी यदि अपीलांट का कोई अधिकार बनता है तो ऐसी स्थिति में अपने अधिकार तय कराने हेतु नियमित वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 42 वर्षों के हुए विलम्ब के अत्यधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण से मियाद कानून निरर्थक हो जायेगें। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2017(1) Page 117, RRT 2009(2) Page No. 1179, RRT 2018(2) Page No. 1552 पेश किये।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 वाके ग्राम देलाहेड़ी के विरूद्ध अपील पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब के संबंध में धारा–5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत कारण को उचित एवं क्षम्य योग्य नहीं होना मानते हुए अपील मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 27.01.2020 से खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलान्ट बिरधी बाई बिशना की जायन्दा पुत्री होने से अपने हिस्से 1/3 आराजी पर काबिज काश्त मौके पर चली आ रही है। परीक्षण न्यायालय ने इन्तकाल सं० 107 दिनांक 05.10.1977 बिना तहकीकात किये खोला गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने में हुए विलम्ब का समुचित कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बताया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के इस विधिक बिन्दु पर गौर नहीं किया कि इन्तकाल त्रुटिपूर्ण खोला गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त इंतकाल के त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलांट को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज नहीं की जाकर गुणावगुण पर विचार किया जाना चाहिए था। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त नामांतरकरण के विरूद्ध 42 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई। ऐसी स्थिति में इतने लम्बे समय तक जानकारी नहीं होने का कथन गलत हैं। ऐसी स्थिति में अपने अधिकार तय कराने हेतु नियमित वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट को मृतक बिशना की पुत्री होने से इंकार नहीं किया गया है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खुलना चाहिए था। अपीलांट को बिना

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

सुनवाई का मौका दिये नामांतरकरण पारित किया गया। इस संबंध में अपीलांट को ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जो निम्नानुसार प्रतिपादित हैं :–

RRT 2022(2) Page No. 1137

Prem Singh vs Sugan kanwar

Revision LR No. 7511/Pali of 2018, Decided on 05.05.2022

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 135 - Appeal against mutation was filed after delay of 30 years and the SDO allowed it and cancelled the mutation and remanded the case to the Tehsildar-Additional Divisional Commissioner rejected the appeal- Petitioner and the non-petitioner No. 2 are the son of the khatedar Indra Singh- Sugan Kanwar is the born daughter of Indra Singh-No opportunity of hearing given to legal heirs of the Indra Singh- Non-petitioner No. 1 is the legal heir of 1st class-Held, No illegality or irregularity in the order and upheld.

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह प्रकट होता है कि अपीलांट मृतक बिशना की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिक वारिसान होते हुए भी खातेदार बिशना के फौत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध में फोतगी का नामांतरकरण संख्या 107 दिनांक 05.10.1977 मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां के द्वारा भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की गई। जबकि विभिन्न माननीय न्यायालयों के निर्णयानुसार त्रुटिपूर्ण नामांतरकरण की अपील के निर्णय में मियाद की बजाय गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए था।

8. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 का यह तर्क रहा है कि 42 वर्षों के हुए विलम्ब के अत्यधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण से मियाद कानून निरर्थक हो जायेगें। इस संबंध में अपीलांट को ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत जो निम्नानुसार प्रतिपादित हैं :–

RRT 2024(2) Page No. 1240

Govind vs Mahendra Kumar Sharma

Revision LR No. 1530/Dudu of 2024, Decided on 13.05.2024

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 135 and 84- Non-petitioner no. 1 and 2 filed the appeal after about 50 years against the mutation - Appellate Court condoned the dealy- Ancestral land- Rights of the daughter in the property- Rejecting the appeal merely on the ground of delay is not proper-Held, No illegality in the order.

29/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में वादग्रस्त फौती नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के विपरित होने तथा अपीलांट को बिना सुनवाई का मौका दिये पारित किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 21/2016 बउनवान बिरधी बाई बनाम कालू (मृतक) जरिये का0 मु0 ओम प्रकाश वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, अंता को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

29/8/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अति. संभा. आयुक्त कोटा